

कानून दस्तावेज़ 28.7.2011 द्वारा
नियमित असिंह को पुराम लेखा/उपलिपि द्वारा दिया गया ।

वाद संख्या- १८ /२०११

लेखाल रिपोर्ट

बनाम

पारा-143 जमीनियत एवं फूम व्यवस्था
मौजा-१-पिण्ड इन परगना/तहसील बैठेल ।
स्वामया प्रसाद महाविष्णु यादव फूम
राम किशोर सिंह

नियम

प्रस्तुत प्रकरण में नियमित प्राप्ति पर अन्तर्गत पारा-143 उ० प्र० फूमि
व्यवस्था एवं जमीदारी विनाश अधिनियम [नियम-135] के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत
की गयी है कि खतीनी बाता 1418 लगातार 1423 फ० के बाता संख्या-1079 के
गाठा संख्या-2156 के रकबा ०.418 हेठा० गु० ३-६० रु० पर स्व० गया प्रसाद
महाविष्णु यादव फूमि बागवानी परगना, मत्स्य संवर्धन, तथा कुकुट पालन से अस्वद्ध
संख्या व छेफल कृषि, बागवानी, परगना, मत्स्य संवर्धन, तथा कुकुट पालन से अस्वद्ध
प्रयोजन में प्रयुक्त हो रही है। लेखाल व राजस्व निरीक्षक ने ३० प्र० जमीदारी
विनाश एवं फूमि व्यवस्था नियमाकाली के नियम 135 पर इसकी आधार दिनांक
16-7-2011 को प्रस्तुत की है। नियमसुसार वाद पंजीकृत करके मूल कार्यकार
को सम्मन निर्गत कर ताकि किया गया। रामकिशोर सिंह पुत्र महाविष्णु यादव
में स्व० गया प्रसाद महाविष्णु यादव की विलिंग बनी होने के कारण आबादी
घोषित करने विष्यक अनपत्ति प्रार्थना-पत्र देकर लेखाल की रिपोर्ट के आधार
पर आबादी घोषित किये जाने की याचना की है।

पत्र वाली पर उपलब्ध लेखाल व राजस्व निरीक्षक की आधार में कहा
गया है कि गाठा संख्या-2156 के रकबा ०.418 हेठा० में स्व० गया प्रसाद महाविष्णु-
लय, फूमि बागवानी के नाम बतौर संक्रमणीय फूमिधर दर्ज कागजात है, जिस पर विधालय
बाहड़ी, भावन व छेफल का मैदान बना है, जिस पर विधालय कार्यकृत है। इस प्रकार
उक्त फूमि कृषि बागवानी अथवा परगना, मत्स्य संवर्धन एवं कुकुट पालन में नहीं
आ रहे हैं। अपितु महाविष्णुलय का आवासीय भावन निर्मित हो चुका है, जिसमें
शिक्षण कार्य हो रहा है, और कृषि प्रयोजन में नहीं है। प्रश्नगत फूमि संक्रमणीय
फूमि की भेणी की है। इस छुकारण इसके संबंध में उपर्युक्त दर्शायि गये छेफल के
विषय ३० प्र० जमी० विनाश एवं फूमि व्यवस्था अधिनियम की पारा-143 के
अन्तर्गत प्रछयापन किये जाने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के अलोक में ग्राम-पिण्डारन की फूमि गाठा
संख्या-2156 के रकबा ०.418 हेठा० गु० ३-६० रु० पर स्व० गया प्रसाद महाविष्णु-
लय फूमि बागवानी, प्रबन्धक राम किशोर सिंह पुत्र महाविष्णु यादव का
विधालय भावन आदि निर्मित होने के कारण संलग्न लेखाल/प्र० राज० निरीक्षक
की आधार व नजरी नकारा के अनुसार कृषि प्रयोजन से अस्वद्ध अकृषिक प्रयोजन हेतु
जिसका उल्लेख आर किया भा० चुका है, के लिए प्रछयापित किये जाते हैं। तदनुसार
संबंधित खाते के समझ इसके अमलदरामद किये जाने हेतु परवाना अमलदरामद निर्गत
हो, और वर्तमान खतीनी के पश्चात निर्मित होने वाली खतीनी में फूमि संबंधित
खाते के समझ इसका अमलदरामद होता रहे। नियमाकाली के नियम-१३७ के अन्तर्गत
अदिश की एक प्रति उपनिवंधक बैठेल को भोजी जाये, जिसे वह निवंधक निवंधित
करके एक प्रति वापस करें। लेखाल व आधार व नजरी नकारा आदेश का अंग रहेगा।
पत्र वाली बाद अग्रेतर कार्यवाही संचित अभि लेखागार की जाये।

दिनांक 28-7-2011।

असिंह को प्र० भेणी उपलिपि फूमि गाठा, बैठेल।

P.T.O.